# गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प

सदस्य का नामः श्री मुकेश अग्निहोत्री

संकल्प का मूल उद्धरणः

“यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में interlocking tiles के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ौतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवता, आकार, रंग, मुल्य नियन्त्रण तथा इन्हें बिछाने हेतु नीति बनाने का विचार करें।”

माननीय अध्यक्ष महोदय

मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए उक्त गैर–सरकारी सदस्य कार्य संकल्प के संदर्भ में यह व्यक्त करना चाहूंगा कि Interlocking tiles का प्रयोग हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में specification के आधार पर किया जाता है। इन टाईल्ज़ के प्रयोग हेतु Indian Standard Precast Concrete Block for paving- specification (IS 15658: 2006) जो कि Bureau of Indian standard, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है का अनुसरण किया जाता है। इस specification में clause No. 5 में विभिन्न traffic conditions के लिए विभिन्न प्रकार के paver blocks का उल्लेख किया गया है तथा clause No. 6 में इन paver blocks कि भौतिक गुणवता का उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त इन blocks/tiles के सड़कों में प्रयोग हेतु Indian Road Congress (IRC) के SP 63:2004 द्वारा इनके प्रयोग, लगाने की पूर्ण विधि व रख रखाव के लिए दिशा निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त specification व दिशा निर्देशों के अनुरूप ही हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग में Interlocking tiles का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। Interlocking tiles तथा अन्य सामग्री के निर्माणकर्ताओं (जिनकी सामग्री specification

के अनुरूप है) का विवरण कन्ट्रेक्ट एग्रीमैन्ट में उल्लेखित है जिसके अनुसार ही ठेकेदार कार्य करने को बाधित है। सभी भवनों व सड़क निर्माण सामग्री गठित तकनीकी कमेटी के द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही कन्ट्रेक्ट एग्रीमेट में वर्णित होती है। Interlocking tiles की आईटम का हि0प्र0 शड्यूल आफ रेट में, रेट दिया गया है तथा ठेकेदार को मार्किट रेट पर जस्टीफिकेशन बनाने के उपरान्त ही रेट अबार्ड किया जाता है। Interlocking tiles को साईट की आवश्यकतानुसार बिछाने का कार्य किया जाता है । अतः Interlocking tiles को बिछाने के कार्य हेतु अलग से नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

*****